न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/18

भंवरिया आयु 70 वर्ष आत्मज रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी भंवरिया पुत्र रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी डाबला को ग्राम डाबला की आराजी खसरा नम्बर 725/115 रकबा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 31.10.1977 को कीमत आवंटित की गई थी । मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी ने भूमि की किश्त मय ब्याज के जमा नहीं करवायी है । आवंटन शर्तो का उल्लंघन हुआ है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.08.2018 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 31.10.1977 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं कराने की फाइडिंग देते हुए नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त किया है । अपीलान्ट का उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर जयकिशन लोधा द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने व भूमि पर निर्माण शुरू कर देने पर अपीलान्ट ने तत्समय न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी के न्यायालय में उक्त भूमि पर निर्माण नहीं करने व बेदखली हेतु वाद पेश किया जिस पर दौराने वाद उक्त भूमि पर तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा अपीलान्ट का वाद स्वीकार कर बेदखली की डिक्री दिनांक 25.10.1999 को पारित गई तथा भूमि से रिसीवर को हटा कर अपीलान्ट को कब्जा संभलाये जाने के आदेश पारित किये थे । तहसीलदार रिसीवर द्वारा भूमि पर अपीलान्ट को कब्जा ही नहीं संभलाया गया तो अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा नहीं होना मानकर 17 ए की कार्यवाही गलत प्रस्तुत की है । आवंटन के 10 वर्ष बाद आवंटी स्वतः ही खातेदार बन जाता है । अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को लगभग 40–41 वर्ष हो चुके है। । अपीलान्ट ने आवंटन तथ्यों को छुपाकर नहीं करवाया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आदेश की नकल हेतु दिनांक 21.08.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन काफी दिनों तक निर्णय नहीं लिखा जाने के उपरान्त दिनांक 28.11.2018 को अपीलान्ट को निर्णय की नकल दिये जाने पर नकल प्राप्ति से अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है । प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में कोई जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है । अतः उक्त विलम्ब को कानूनी प्रावधानों के अनुसार कण्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के नाम ग्रम डाबला की भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 15 बिस्वा दिनांक 31.10.1977 को आवंटित की गई थी । आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय एसीएम मुख्यालय बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.1990 की पालना में अपीलान्ट को

रिसीवर से कब्जा दिलाया जावे और आवंटन निरस्त करने के लिए पेश किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे परन्तु अधीनस्थ ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त किया है बिना किसी आधार के यह माना है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर नियम 17 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था । आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करने के बाबत् कोई भी आधार प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया था । अपीलान्ट की गैर खातेदारी की आराजी पर जयकिशन लोधा द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था और दावा पेश होने पर तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त किया गया । अपीलान्ट के पक्ष में बेदखली की डिक्री पारित की गई इस निर्णय की कोई अपील नहीं हुई है । आवंटन नियम 1970 के तहत हुआ था जिनको आवंटन नियम 14 (4) के तहत जिला कलक्टर के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । आवंटन की पत्रावली तलब नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा पेश कर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने से आवंटन नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत खारिज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन की पत्रावली तलब नहीं की है और मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.11.2015 जिसमें मौके पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना बताया गया है, के आधार पर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना नहीं मानकर आवंटन खारिज किया है। आवंटन की शर्तो की पालना हुई है अथवा नहीं इसके लिए आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्षों में उसने काश्त की अथवा नहीं यह देखा जाना अनिवार्य होता है । अपीलान्ट के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उनके पक्ष में बेदखली की डिक्री पारित हो चुकी है जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हिण्डोली जो कि रिसीवर है उनसे कब्जा दिलाया जाना है । साथ ही आवंटन आदेश की जो फोटो प्रति पेश की गई है उसके अनुसार आवंटन नियम 1970 के के तहत किया गया है जिसके आवंटन को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर का होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकारण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24-9-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा